



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07042022-234955
CG-DL-E-07042022-234955

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 268]
No. 268]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 7, 2022/चैत्र 17, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 7, 2022/CHAITRA 17, 1944

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
शुद्धि पत्र 2

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 280(अ).—भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 55/2021 - सीमा शुल्क, दिनांक 29 दिसंबर 2021, जिसे सा. का. नि. 904(अ) दिनांक 29 दिसंबर 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में पृष्ठ 3 पर –

- (क) लाइन 17 और 18 में, "8802 (8802 60 00 को छोड़कर) या 8806" के स्थान पर "कोई अध्याय" पढ़ें;
- (ख) लाइन 18 में, "टेलीविजन" के स्थान पर "शीर्षक 8802 या 8806 (टेलीविजन)" पढ़ें;
- (ग) लाइन 19 में, "सभी वस्तुएं" के स्थान पर ") के तहत आने वाले वायुयान के पुर्जे (रबर टायर और ट्यूब से भिन्न)" पढ़ें;
- (घ) लाइन 22 में, "9405 00 00" के स्थान पर "9405 50 00" पढ़ें।

[फा. सं. 190354/286/2021-टीआरयू]

विक्रम वानेरे, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****CORRIGENDUM 2**

New Delhi, the 7th April, 2022

G.S.R. 280(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 55/2021-Customs, dated the 29th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 904 (E), dated the 29th December, 2021, at the page 5,-

- (a) in line 11 and 12, for “8802 (except 8802 60 00) or 8806” read “Any Chapter”;
- (b) in line 12, for “All goods” read “Parts (other than rubber tyres and tubes), of aircraft of heading 8802 or 8806 (”;
- (c) in line 13, for “recorder” read “recorder”;
- (d) in line 16, for “9405 00 00” read “9405 50 00”.

[F. No. 190354/286/2021-TRU]

VIKRAM WANERE, Under Secy.

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 281(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 57/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 29 दिसम्बर, 2021, जिसे सा.का.नि. 906 (अ) दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में:-

- (I) पृष्ठ संख्या 9 पर, सारणी में, क्रम संख्या 4 में, कॉलम (3) में, क्रम संख्या (iv) में, सारणी में, कॉलम (2) में, पंक्ति पंद्रह और सोलह में, “8524 या 90138000”, के स्थान पर “8524” पढ़ें;
- (II) पृष्ठ संख्या 9 पर, सारणी में, क्रम संख्या 4 में, कॉलम (3) में, क्रम संख्या (iv) में, सारणी में, कॉलम (3) में पंक्ति पंद्रह में, “लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस”, के स्थान पर “क्रम संख्या 1 से 38क में उल्लिखित सामानों के लिए लिक्विड क्रिस्टल डिवाइसेस” पढ़ें;
- (III) पृष्ठ संख्या 9 पर, सारणी में, क्रम संख्या 4 में, कॉलम (3) में, क्रम संख्या (v) में, सारणी में, कॉलम (2) में, पंक्ति उन्नीस और बीस में “8529 या 90139000”, के स्थान पर “8529” पढ़ें;
- (IV) पृष्ठ संख्या 9 पर, सारणी में, क्रम संख्या 4 में, कॉलम (3) में, क्रम संख्या (v) के समक्ष, सारणी में, कॉलम (3) में, पंक्ति उन्नीस और बीस में, “लिक्विड क्रिस्टल डिवाइसेस के पार्ट्स”, के स्थान पर “क्रम संख्या 1 से 38क तक में उल्लिखित सामानों के लिए लिक्विड क्रिस्टल डिवाइसेस के पार्ट्स” पढ़ें।

[फा. सं. 190354/286/2021-टीआरयू]

विक्रम वानेरे, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 7th April, 2022

G.S.R. 281(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 57/2021-Customs, dated the 29th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 906 (E), dated the 29th December, 2021, namely,-

- (I) at page number 12, in the Table, in serial number 4, in column (3), in serial number (iv), in the Table, in

- column (2), in line twenty-two, for “8524 or 90138000”, read “8524”;
- (II) at page number 12, in the Table, in serial number 4, in column (3), in serial number (iv), in the Table, in column (3), in line twenty-two, for “Liquid crystal devices”, read “Liquid crystal devices for goods mentioned at S. Nos. 1 to 38A”;
- (III) at page number 12, in the Table, in serial number 4, in column (3), in serial number (v), in the Table, in column (2), in lines twenty-six and twenty-seven, for “8529 or 90139000”, read “8529”;
- (IV) at page number 12, in the Table, in serial number 4, in column (3), against serial number (v), in the Table, in column (3), in line twenty-six, for “Parts of liquid crystal devices”, read “Parts of liquid crystal devices for goods mentioned at S. Nos. 1 to 38A”.

[F. No. 190354/286/2021-TRU]

VIKRAM WANERE, Under Secy.

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 282(अ).—भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 60/2021 - सीमा शुल्क, दिनांक 30 दिसंबर 2021, जिसे सा. का. नि. 917(अ) दिनांक 30 दिसंबर 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था ,

- (I) में पृष्ठ 5 पर, कॉलम (3) में , लाइन 41 में, " स्थान पर " के स्थान पर " पश्चात " पढ़ें;
- (II) में पृष्ठ 5 पर, कॉलम (3) में , लाइन 42 में, " प्रतिस्थापित " के स्थान पर " अंतःस्थापित " पढ़ें;
- (III) में पृष्ठ 9 पर, कॉलम (3) में , लाइन 3 में, "390389" के स्थान पर "290389" पढ़ें;
- (IV) में पृष्ठ 11 पर, कॉलम (3) में , लाइन 2 में, "697" के स्थान पर "689" पढ़ें ।

[फा. सं. 190354/286/2021-टीआरयू]

विक्रम वानेरे, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 7th April, 2022

G.S.R. 282(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 60/2021-Customs, dated the 30th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 917 (E), dated the 30th December, 2021, namely, -

- (a) at page 28, in column (3), in line 42, for “for” read “after”;
- (b) at page 28, in column (3), in line 44, for “719” read “719A”;
- (c) at page 31, in column (3), in line 19, for “390389” read “290389”;
- (d) at page 32, in column (3), in line 47, for “697” read “689”.

[F. No. 190354/286/2021-TRU]

VIKRAM WANERE, Under Secy.